



27

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प

भोपाल म०प्र०

निग-1775-II-16

राजस्व निगरानी क्रमांक /2016

सुनील कुमार आ. श्री महेश कुमार वयस्क  
निवासी ग्राम निपानिया तहसील व जिला सीहोर म०प्र०.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

01. हरिबगस आ. श्री चैन सिंह आयु वयस्क  
निवासी ग्राम निपानिया तहसील व जिला सीहोर
02. धन्नो बाई पुत्री चैन सिंह आयु वयस्क  
हाल निवासी ग्राम कुरावर तहसील नरसिंहगढ़  
जिला राजगढ़ म०प्र०
03. रेशम बाई पुत्री श्री चैन सिंह आयु वयस्क  
हाल निवासी लसुडिया तहसील नरसिंहगढ़ जिला  
राजगढ़ म०प्र०।.....रेस्पॉण्डेंटगण

निगरानी अंतर्गत 50 म.प्र.भू.रा.1959 विरुद्ध प्रकरण  
क्रमांक 113/अपील/15-16 सुनील विरुद्ध हरिबगस आदेश  
दिनांक 26/04/2016 पारित द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी  
महोदय, सीहोर म०प्र०

आहुत किये जाने वाले प्रकरण।

01. प्रकरण क्रमांक 113/अपील/15-16 सुनील विरुद्ध हरिबगस  
आदेश दिनांक 26/04/2016 पारित द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय  
अधिकारी महोदय, सीहोर म०प्र०
02. पंजी क्रमांक 13 प्रमाणीकरण दिनांक 25/04/1970 ग्राम  
निपानिया तहसील व जिला सीहोर पारित द्वारा श्रीमान्  
तहसीलदार महोदय सीहोर म०प्र०
03. प्रकरण क्रमांक 31/अ-27/2015-16 न्यायालय श्रीमान् नायब  
तहसीलदार महोदय, सीहोर हरिबगस विरुद्ध कांता बाई व अन्य  
बंटवारा प्रकरण की संपूर्ण नस्ती।

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं  
आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है:-

12 1775-I/16 श्रीहरि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अधि आदि के हस्त
19.7.16	<p>डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा 2000 का कुछ उपकरण। उनके द्वारा प्रकरण को संयोजित नहीं करने का अनुबंध मिला। डॉक्टर अशोक कुमार के अनुबंध पर प्रकरण को स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण काबिल रिपोर्ट है।</p> <p style="text-align: right;">श्रीहरि</p>	